विधानसभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	पंचायती राज विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	*4649
उत्तर की तिथि	:	28.02.2022
विषय	:	पंचायत में अनियमितताएं
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री विनय कुमार (रेणुकाजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज **मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगें कि:— श्री रेणुकाजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास खंड संगड़ाह के अंतर्गत कोटी धीमान पंचायत में प्रधान के विरूद्ध क्या—क्या अनियमितताएं पाई गई है; विभाग ने प्रधान के विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाई है; यदि हां, तो कब; यदि नहीं, तो कारण सहित व्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री विनय कुमार (रेणुकाजी) द्वारा पूछे गए तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या *4649 से सम्बन्धित सभा पटल पर रखी गई सूचना।

प्रधान ग्राम पंचायत कोटीधीमान, विकास खण्ड संगड़ाह के पति द्वारा पंचायत कार्यों में हस्ताक्षेप करने तथा सरकारी सीमेंट बेचने व अन्य अनियमितता बरतने सम्बन्धी श्री दलीप आजाद, सदस्य सतर्कता कमेटी तथा वार्ड सदस्य वार्ड न0 1, 2, 4, 5 व अन्य निवासी ग्राम पंचायत से प्राप्त शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों की प्रारम्भिक जांच जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगड़ाह के माध्यम से करवाई गई। उनसे प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने पर उक्त दोनों आरोपों में श्रीमती इन्द्रा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीधीमान के विरूद्ध अनियमितता बरतने का मामला सामने आया तथा उक्त आरोपों में से एक आरोप में श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर, उप–प्रधान व श्री कुलदीप सिंह पंचायत सदस्य के स्तर पर भी अनियमितता बरतने का मामला सामने आया। जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन के पत्र दिनांक 19.02.2022 के अंतर्गत नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह को आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए है।